न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – अनुराग हरित (आर0ए0एस0)

दावा सं0	ता0 दायर	ता0 निर्णय
1/01	21.06.2021	10-1-22

बउनवान

1.:–शुभम पुत्र श्री संजय कुमार उम्र करीब 23 साल

2:–शिवम पुत्र श्री संजय कुमार उम्र करीब 19 साल, जातियान महाजन निवासीयान ग्राम मालाखेडा जिला अलवर

–वादी

बनाम

1.:–ओमप्रकाश जैमन पुत्र श्री भगवान सहाय जाति ब्राहमण

2:–कमला देवी पत्नि श्री प्रेम नारायण जाति महाजन

3:–जय रघुवीर पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति महाजन

4:–प्रेम नारायण पुत्र श्री रामनिवास जाति महाजन

5:–भवन प्रकाश पुत्र श्री जय रघुवीर जाति महाजन

6:–खेमचन्द पुत्र स्व0 श्री लालाराम जाति माली निवासी मालाखेडा

7:–लडडो पुत्री स्व0 लालाराम जाति माली पत्नि श्री पूरणमल जाति माली

8:–सन्तो पुत्री स्व0 श्रीलालाराम पत्नि श्री इन्द्रराम सैनी जाति माली

9:–धोली पुत्री स्व0 श्री लालाराम पत्नि श्री रमेश सैनी जाति माली

10:–मंजू पुत्री स्व0 श्रीलालाराम पत्नि श्री हुकम सैनी जाति माली निवासीयान राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर

11:–सुखराम पुत्र श्री मोहनलाल जाति माली निवासीयान ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

12:–तहसीलदार तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,
89 राज.काश्त.अधिनियम, 1955

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1465 रकबा 35 ऐयर चाही प्रथम मुन्दर्जे खाता स0 4 ग्राम मालाखेडा तहसील

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

मालाखेडा जिला अलवर मे स्थित है उक्त आराजी दावा हाजा मे विवादित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है विवादित आराजी मे वादी की दादी मु0 अंगूरी देवी पत्नि स्व0 श्री गंगाविशन जाति महाजन निवासी ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर 1/7 हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रतिवादी स0 1 लगायत 7 भी मुताविक हाल राजस्व अभिलेख विवादित आराजी के सहकाश्तकार खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है ताईद मे नकल जमाबन्दी हाल सम्वत 2070–75 सलंग्न कर प्रस्तुत है कि वादीगण की दादी मु0 अंगूरी ने विवादित आराजी मे अपने 1/7 हिस्से यानि कुल रकबा 35 ऐयर मे से 5 ऐयर की वसीयत दिनॉक 28–9–2015 को वादीगण के पक्ष मे तहरीर तकमील की थी जिस वसीयत का पंजीयन दिनॉक 28–09–2015 को ही उप पंजीयक मालाखेडा से कराया गया ताईद मे वसीयतनामा की प्रति सलंग्न कर प्रस्तुत है वादीगण की दादी मु0 अंगुरीदेवी का स्र्वगवास दिनॉक 25–5–21 को हो गया इसके बाद वादीगण विवादित आराजी मे 1/7 हिस्से के बमुताबिक वसीयत खातेदार काश्तकार चले आ रहे है किन्तु अभी तक उक्त वसीयत का इन्तकाल दर्ज नही हुआ है विवादित आराजी का अभी तक कोई विधिक रूप से तकासमा नही हुआ है तथा वादीगण विवादित आराजी पर असल प्रतिवादीगण के साथ सामलात मे काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहें है वादीगण शान्तिप्रिय व कानूनन पसंद व्यक्ति है किन्तु असल प्रतिवादीगण विवादित आराजी मे वादीगण को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग नही करने देते है तथा दिनॉक 17–6–21 को असल प्रतिवादीगण ने वादीगण को विवादित आराजी मे उनके हिस्से से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जिस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है वादीगण विवादित आराजी 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है जो आराजी वादीगण को उनकी दादी स्व0 मु अगुंरी की विरासत से प्राप्त हुई है इसलिये वादीगण स्वयं को विवादित आराजी मे 1/7 हिस्से के खातेदार क़ाश्तकार है जो आराजी वादीगण को उनकी दादी स्व0 मु0 अंगूरी की विरासत से प्राप्त हुई है इसलिये वादीगण स्वयं को विवादित आराजी के 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने कें कानूनन अधिकारी है जिस हेतु यह दावा पेश है तकमीली प्रतिवादी स0 12 राज्य सरकार के बतौर लैण्ड होल्डर प्रतिनिधि है जिनके विरूद्व वाद मे कोई अनुतोष नही चाहा गया अतः निवेदन है कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्व असल प्रतिवादीगण निम्न डिकी सादिर की जावे

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

डिक्री बावत इस्तकरारहक सादिर की जाकर वादीगण को विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1465 रकबा 35 ऐयर चाही प्रथम मुन्दर्जे खाता स0 4 मे से 1/7 हिस्सा वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर का बहिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा वादीगण के नाम कागजात माल मे अमल दरामद कराया जावे दीगर दादरसी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जो भी उचित व न्याय संगत हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण वाद सूचना उपस्थित नही हुये प्रकरण मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये तहसीलदार मालाखेडा से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादपत्र मे प्रस्तुत वसीयतनामा प्रति0 दिनॉक 28—9—2015 पुस्तक स0 3 जिल्द स0 5 पृष्ठ स0 147 कम स0 11 पर पंजिबद्व द्वारा आ0 ख0 न0 1465/0.35 है0 मे से 0.05 है0 भूमी (हि01/7) अंगूरीदेवी पत्नि गंगाविशन जाति महाजन निवासी ग्रम मालाखेडा द्वारा शुभम, शिवम पुत्रान संजय कुमार जाति महाजन निवासी ग्राम मालाखेडा के पक्ष मे निष्पादित हुआ है। हाल जमाबन्दी स0 2070—27 के खाता स0 4 मे ख0न0 1465/0.35 चाही प्रथम मे वसियतकर्ता अंगूरी देवी पत्नि गंगाविशन हि0 1/7 जाति महाजन सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है आराजी मे कोई वाद/स्थगन आदि नही है रिपोर्ट भिजवाई गई है।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई बहस मे वकील ने कथन किया कि वादीगण की दादी मु0 अंगूरी ने विवादित आराजी मे अपने 1/7 हिस्से यानि कुल रकबा 35 ऐयर मे से 5 ऐयर की वसीयत दिनॉक 28—9—2015 को वादीगण के पक्ष मे तहरीर तकमील की थी जिस वसीयत का पंजीयन दिनॉक 28—09—2015 को ही उप पंजीयक मालाखेडा से कराया गया जिसका वादीगणो के पक्ष मे राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद नही किया गया है आराजी पर किसी प्रकार का वाद विवाद नही है नाही किसी न्यायालय से स्थगन आदि है जिसका सत्यापन तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रस्तुत जबाव से भी होता है वादीगण का रजिस्र्टर्ड वसीयत अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर) राज०

हमने वकील वादी को सुना उनके द्वारा प्रस्तुत बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एंव तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/जबाव के आधार पर प्रतीत होता है कि हाल जमाबन्दी स0 2070–75 के खाता स0 4 मे ख0न0 1465/0.35 चाही प्रथम मे वसीयतकर्ता अंगूरी देवी पत्नि गंगाविशन हि0 1/7 जाति महाजन सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है दावे मे प्रस्तुत वसीयतनामा प्रति0 दिनॅाक 28–9–2015 पुस्तक स0 3 जिल्द स0 5 पृष्ठ स0 147 कम स0 11 पर पंजिबद्व द्वारा आ0 ख0 न0 1465/0.35 है0 मे से 0.05 है0 भूमी (हि01/7) अंगूरीदेवी पत्नि गंगाविशन जाति महाजन निवासी ग्प्रम मालाखेडा द्वारा शुभम, शिवम पुत्रान संजय कुमार जाति महाजन निवासी ग्राम मालाखेडा के पक्ष मे निष्पादित हुआ है।

अतः वाद वादी निम्न प्रकार से ड्रिकी किया जाता है कि आ0 ख0 न0 1465/0.35 है0 मे से 0.05 है0 भूमी (हि01/7) ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर मे अंगूरी देवी पत्नि गंगाविशन जाति महाजन निवासी ग्प्रम मालाखेडा का नाम कलमजन किया जाकर के स्थान पर रजिर्स्टड वसीयतानुसार शुभम, शिवम पुत्रान संजय कुमार जाति महाजन निवासी ग्राम मालाखेडा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। तहसीलदार मालाखेडा को अहकाम जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – अनुराग हरित (आर0ए0एस0)

दावा सं0	ता0 दायर	ता0 निर्णय
1/83	21.06.2021	10-1-22

बउनवान

1:–शुभम पुत्र श्री संजय कुमार उम्र करीब 23 साल

2:–शिवम पुत्र श्री संजय कुमार उम्र करीब 19 साल, जातियान महाजन निवासीयान ग्राम मालाखेडा जिला अलवर –वादी

बनाम

1:–ओमप्रकाश जैमन पुत्र श्री भगवान सहाय जाति ब्राहमण

2:–कमला देवी पत्नि श्री प्रेम नारायण जाति महाजन

3:–जय रघुवीर पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति महाजन

4:–प्रेम नारायण पुत्र श्री रामनिवास जाति महाजन

5:–भवन प्रकाश पुत्र श्री जय रघुवीर जाति महाजन

6:–खेमचन्द पुत्र स्व0 श्री लालाराम जाति माली निवासी मालाखेडा

7:–लडडो पुत्री स्व0 लालाराम जाति माली पत्नि श्री पूरणमल जाति माली

8:–सन्तो पुत्री स्व0 श्रीलालाराम पत्नि श्री इन्द्रराम सैनी जाति माली

9:–धोली पुत्री स्व0 श्री लालाराम पत्नि श्री रमेश सैनी जाति माली

10:–मंजू पुत्री स्व0 श्रीलालाराम पत्नि श्री हुकम सैनी जाति माली निवासीयान राजगढ तहसील राजगढ जिला अलवर

11:–सुखराम पुत्र श्री मोहनलाल जाति माली निवासीयान ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

12:–तहसीलदार तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज.काश्त.अधिनियम, 1955

पर्चा डिक्री

दावा वादीगण वाद वादी निम्न प्रकार से ड्रिकी किया जाता है कि आ0 ख0 न0 1465/0.35 है0 मे से 0.05 है0 भूमी (हि01/7) ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर मे अंगूरी देवी पत्नि गंगाविशन जाति महाजन निवासी ग्रम मालाखेडा का नाम

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी

कलमजन किया जाकर के स्थान पर रजिस्र्टड वसीयतानुसार शुभम, शिवम पुत्रान संजय कुमार जाति महाजन निवासी ग्राम मालाखेडा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा
मालाखेड़ा (अलवर)

प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०